संख्या- 12/2019/1641/अडतीस-7-19-324नरेगा/2012टीसी-1

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
2.समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 12 जुलाई, 2019

विषयः- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत सोशल आडिट में पायी गयी कमियों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए एक्शन टेकन रिपोर्ट(एटीआर) को नरेगा साफ्ट पर अपलोड करने के संबंध में।

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-352 दिनांक 30-06-2011 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना लेखा परीक्षा नियमावली 2011 की व्यवस्था की गयी है। इस नियमावली में जिला कार्यक्रम समन्वयक को सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर सुधारात्मक कार्यवाही करने तथा गबन की गयी धनराशि या अनुचित उपयोग की गयी धनराशि की वसूली हेतु उत्तरदायी बनाया गया है।

2- अवगत कराना है कि सोशल आडिट सम्पन्न होने के पश्चात सोशल आडिट प्रतिवेदनों को जनपद के जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर द्वारा नरेगा साफ्ट पर अपलोड किया जाता है। प्रतिवेदनों को वेबसाइट www.nrega.nic.in पर अपलोड करने पर पायी गयी कमियों को आवश्यकतानुसार पीओ/डीपीसी/राज्य स्तर को फारवर्ड किया जाता है। इस संबंध में भारत सरकार के पत्र संख्या-एम-11015/4/2018-आरई-।।। (361686) दिनांक 21-06-18 द्वारा आडिट प्रतिवेदन अपलोड किये जाने के एक माह के अंदर कार्यान्वयन विभाग द्वारा एटीआर अपलोड किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

3- सोशल आडिट में पायी गयी कमियों पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-1729/38-7-2014-324नरेगा/2012 दिनांक 04-08-14 द्वारा निम्नवत व्यवस्था भी की गयी है:-

i. सोशल आडिट रिपोर्ट में पायी गयी कमियों पर जिला कार्यक्रम समन्वयक की देख-रेख में उपायुक्त(मनरेगा), संबंधित खण्ड विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी एवं क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही की जाय तथा गबन की गयी अथवा अनुचित उपभोग की गयी धनराशि की वसूली के लिए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय।
ii. उपायुक्त(मनरेगा) द्वारा मजदूरी के दुर्विनियोग किये जाने पर ऐसी रकम की वसूली के07 दिनों के अंदर संबंधित श्रमिक को उसका भुगतान किया जाय।
iii. जिला कार्यक्रम समन्वयक की अनुमति से उपायुक्त(मनरेगा) द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशियों के दुर्विनियोग या गबन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही (जिसके अन्तर्गत आपराधिक और सिविल प्रक्रिया का प्रारम्भ करना या सेवा समाप्ति भी है) प्रारम्भ की जाय।

4- उपर्युक्त के अनुक्रम में सोशल आडिट एटीआर की स्थिति देखने से स्पष्ट होता है कि योजना के अन्तर्गत दुर्विनियोजन एवं वित्तीय विचलन से संबंधित धनराशि की वसूली में और अधिक प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता है। अतः इस संबंध में निम्नवत कार्यवाही एक माह की समयावधि में अवश्य ही सुनिश्चित की जायः-

i. सोशल आडिट में पायी गयी धनराशि के दुरुपयोग एवं वित्तीय विचलन के प्रकरणों को कार्यक्रम अधिकारी/लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी द्वारा सूचीबद्ध करते हुए अनुपालन आख्या का पूर्ण विवरण साक्ष्यों के साथ उपायुक्त, श्रम रोजगार को प्रेषित किया जायेगा, जिनके द्वारा तथ्यों का परीक्षण करते हुए अपनी टिप्पणी मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।
ii. सोशल आडिट रिपोर्ट में उठायी गयी आपत्तियों के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समस्त तथ्यों का गहनता से परीक्षण करने के उपरांत नियमानुसार विभिन्न कर्मियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके दायित्व के अनुरुप समानुपातिक धनराशि की वसूली की संस्तुति कर पत्रावली जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

iii. जिलाधिकारी द्वारा दुर्विनियोग की गयी धनराशि की वसूली शासकीय कर्मचारी/ अशासकीय पदाधिकारी के संबंध में नियमानुसार क्रमशः वेतन में कटौती आदेश/उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत आरसी निर्गत करने के साथ-साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 03-01-2014 के बिन्दु संख्या-29(च) के अनुसार निम्नवत कार्यवाही की जायेगी:-

''वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में नियमानुसार प्रथम दृष्टया साक्ष्य होने की सूचना के पश्चात शिकायत की प्राथमिक जांच या सामाजिक सम्परीक्षा रिपोर्ट के निष्कर्ष होने की दशा में जिला कार्यक्रम समन्वयक विधिक परामर्श अभिप्राप्त करने के पश्चात यह सुनिश्चित करेगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल की गयी है।''

5- अपलोड किये गये प्रतिवेदन/एटीआर के प्रकरणों के क्लोजर हेतु अपलोड की गयी अनुपालन आख्या (एटीआर) संतोषजनक होने पर Y तथा संतोषजनक न होने पर N फीड करने की व्यवस्था है जिसका उत्तरदायित्व सोशल आडिट यूनिट को दिया गया है। सोशल आडिट यूनिट के स्थान पर अब जिला विकास अधिकारी जिन्हें जनपद स्तर पर सोशल आडिट के समन्वय का दायित्व सौंपा गया है, एटीआर निस्तारण विषयक सभी अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर एमआईएस के सुसंगत कॉलम में Y तथा N फीड करेंगे, जिससे प्रकरण को क्लोज किया जा सकेगा।

6- कृपया उपर्युक्तानुसार सोशल आडिट में उठायी गयी आपत्तियों के निराकरण के अनुपालन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 12/2019/1641(1)/38-7-2019तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

(1) निदेशक, सोशल आडिट, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ,लखनऊ।
(3) अपर आयुक्त, मनरेगा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त, श्रम रोजगार, उत्तर प्रदेश।
(7) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विजय बहादुर वर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।